UPKU010049642022

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित– **विजय कुमार हिमांशु, एच०जे०एस०–UP02752**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2543/2022

विजय प्रताप सिंह बउम्र 45 वर्ष पुत्र रामकेवल सिंह,

ग्राम– विशम्भरपुर, थाना– चौरी चौरा, जनपद–गोरखपुर। हा०मु०– डायरेक्टर जननी पैरा मेडिकल नर्सिंग सांइस इन्स्टीटूयट वार्ड नं०– 5 पगरा, थाना को० हाटा, जिला कुशीनगर। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विरूद्ध पक्ष

मु०अ०सं०– 38/2022,
धारा–419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC,
थाना–को० हाटा, जिला– कुशीनगर।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त विजय प्रताप सिंह द्वारा इस याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21–01–2022 को वादीगण मुकदमा के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा को इस आशय का दिया गया कि उक्त वादीगण जननी पैरा मेडिकल नर्सिंग साइंस इन्स्टीट्यूट पगरा वार्ड नंबर 5 नगर पालिका परिषद हाटा, कुशीनगर में पैरा मेडिकल की पढ़ायी कर रहे थे। उक्त संस्था के डायरेक्टर विजय प्रताप सिंह मोबाइल नंबर 7068639980 प्रार्थीगण से दो दो लाख रूपये दो वर्ष की फीस जमा करवा लिये। प्रथम वर्ष 2018 से 2021 की मार्कशीट अब्दुल कलाम आफ एजूकेशन एवं वेस्ट बंगाल की दे रहे हैं। पता करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त डिग्री व्यक्तिगत जानकारी के लिये है, ना कि सरकारी नौकरी के लिये। संस्था के डायरेक्टर विजय प्रताप सिंह उनसे फीस का पैसा लेकर फर्जी डिग्री दिये हैं। दो वर्ष तक उनके सिवाय कोई अन्य अध्यापक नहीं है। सारे बच्चों का पूरा कोर्स एक ही साथ बैठाकर पढ़ाये हैं। उनके इस कृत्य से वादीगण का भविष्य अन्धकारमय हो गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत याचिका किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है, रंजिश वश साजिश करके फर्जी रूप से फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी कत्तई कथित घटना मे शामिल नही रहा है, न ही उक्त दर्फ का कोई अपराध किया है। प्रार्थी किसी छात्र से कत्तई दो–दो लाख रूपये नही लिया है, न ही कोई फर्जी सर्टिफिकेट जारी

किया है, न ही कोई कूटरचना किया है। प्रार्थी दिनांक 29.09.2022 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत मुचलका पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर जननी पैरामेडिकल नर्सिंग साइंस इन्स्टीट्यूट के नाम से हाटा में संस्थान फर्जी तरीके से संचालित किया गया और छात्रों को गुमराह करके भोले भाले छात्रों से भारी भरकम फीस लेकर उन्हे फर्जी अंकपत्र व प्रमाण पत्र दिया गया है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात होता है कि आवेदक के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा जननी पैरामेडिकल नर्सिंग साइंस इन्स्टीट्यूट के नाम से हाटा में बिना सक्षम प्राधिकारी से मान्यता लिये संस्थान खोलकर फर्जी तरीके से संचालित किया गया और छात्रों को गुमराह करके छात्रों से भारी भरकम फीस लेकर उन्हे फर्जी अंकपत्र व प्रमाण पत्र दिया गया।

वादी अभय नरायन सिंह ने विवेचक को बयान दिया है कि वह जननी पैरामेडिकल नर्सिंग साइंस इन्स्टीट्यूट पगरा वार्ड नंबर 5 नगर पालिका परिषद हाटा, कुशीनगर में पैरामेडिकल की पढ़ायी कर रहे थे। उक्त संस्था के डायरेक्टर विजय प्रताप मोबाइल नंबर 7068639980 उनसे दो दो लाख रूपये दो वर्ष की फीस जमा करवा लिये। प्रथम वर्ष 2018 से 2021 की मार्कशीट अब्दुल कलाम आफ एजूकेशन एवं वेस्ट बंगाल के दे रहे हैं। पता करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त डिग्री व्यक्तिगत जानकारी के लिये है, ना कि सरकारी नौकरी के लिये। संस्था के डायरेक्टर विजय प्रताप सिंह उनसे फीस का पैसा लेकर फर्जी डिग्री दिये हैं। दो वर्ष तक उनके सिवाय कोई अन्य अध्यापक नहीं है। सारे बच्चों का पूरा कोर्स एक ही साथ बैठाकर पढ़ाये हैं।

छात्र ममता भारती, नीलम भारती व कलीम अंसारी द्वारा प्राथमिकी के कथानक का समर्थन किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों और उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बतायी गयी तर्क और कहानी के दृष्टिगत न्यायालय जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विजय प्रताप सिंह** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः21.11.2022

(विजय कुमार हिमांशु)
अपर सत्र न्यायाधीश, कार्ट नं०–3,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by VIJAY KUMAR HIMANSHU
Date: 2022.11.22 15:07:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court